सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—डॉ0 राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 346/16 निर्णय : 9.01.2018

1. बाबूलाल पुत्र भीखाराम जाति सोनी निवासी बरसलपुर तहसील कोलायत जिला बीकानेर

—अपीलांट

—बनाम—

1. राजाराम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी राववाला तहसील कोलायत
2. स्टेट ऑफ राजस्थान —रेस्पोडेन्टस

अपीलें विरुद्व निर्णय सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छतरगढ़, बीकानेर
दिनांक 19.02.2010

उपस्थितः—

1. श्री धीरेन्द्रसिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नरसाराम जाखड़ , अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1
3. श्री नन्दराम कासनिया, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ बीकानेर के निर्णय दिनांक 19.02.2010 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 1 को प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन में चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 108/49 की 24.05

बीधा भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया। अपीलांट भूमिहीन व्यक्ति है तथा जिस ग्राम की भूमि थी उसी ग्राम का निवासी है। मगर आवंटन अधिकारी ने गैर कानूनी तरीके से एकतरफा तौर पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और अन्य व्यक्ति को आंवटन कर दिया जो कानूनी भूल है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 अन्य ग्राम का निवासी है तथा उसकी प्रथम वरियता मानी गई है जबकि उसकी प्रथम वरियता नहीं बनती। अपीलांट ने अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट अंकित किया है कि उसके धारण में 4 बीधा से अधिक भूमि है जबकि रेस्पोडेन्ट नं. 1 के पास भी 4 बीधा से अधिक भूमि है। नियमों में कही भी नहीं लिखा कि 4 बीधा से अधिक भूमि वाला आवंटन का पात्र नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट का परिवार पीढ़ियों से ग्राम कबरेवाला पंचायत बरसलपुर में निवास करता आ रहा है तथा उसके द्वारा आवेदित भूमि भी उसी ग्राम में है। इसलिए प्रथम वरियता उसकी बनती है। जबकि रेस्पोडेन्ट नं. 1 अन्य ग्राम का निवासी है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नं. 1 को आवंटन कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन नियम 1975 के नियम 7 की गलत व्याख्या की है। नियम 7 में वरियता निर्धारण हेतु स्पष्ट क्रम दिये हुए है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 के धारण में अपीलांट से अधिक भूमि है। फिर भी उसे आवंटन किया गया है। अतः अपीलांट की अपल स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर आवंटन के आदेश पारित किये जावे। अपील जानकारी से अन्दर मियांद पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अपनी बहस में बताया कि अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 108/49 ग्राम कब्रेवाला के आवंटन से पूर्व विशेष आवंटन के तहत प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये। अदालत मातहत द्वारा प्राप्त आवंटन प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्राप्त आवंटन प्रार्थना पत्रों की वरियता कायम की गई। वरियता क्रम में सभी आवेदकों के प्रार्थना पत्रों की जॉच किये जाने के उपरान्त सबूत पूर्ण होने पर रेस्पोडेन्ट् इमीलाल व राजाराम की प्रथम वरियता मानते हुए

आराजी जैर का आवंटन भूमि 4 बीघा से कम होने के आधार पर किया गया है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आराजी जैर के आवंटन उपरान्त निर्धारित राशि भी जमा करवाई जा चुकी है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपने आवंटन आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि बाबुलाल पुत्र भीखाराम के धारण में 15 बीघा कमाण्ड भूमि है तथा रेस्पोडेन्ट राजाराम के धारण में 3.14 बीघा कमाण्ड बीघा भूमि निहित है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा प्राप्त आवेदकों में से प्रथम वरियता के आधार पर आराजी जैर का विशेष आवंटन किया गया है। जो आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आंवटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13–क के अन्तर्गत होने से अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथ पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् आराजी चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 108/49 की 24.05 बीधा भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के फलस्वरूप चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 108/49 का आवंटन रेस्पोडेन्ट राजाराम पुत्र ओमप्रकाश को दिनांक 19–02–2010 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया है।

(2) प्रकरण में अदालत मातहत सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा आराजी जैर के आवंटन से पूर्व राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आंवटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13–क के अन्तर्गत विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र आंमत्रित किये जाने पर वादगत् भूमि चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 108/49 के आवंटन हेतु क्रमशः राजाराम पुत्र ओमप्रकाश, बाबूलाल पुत्र भीखाराम, बीरबलराम पुत्र रामलाल, ओमप्रकाश पुत्र रतीराम, ईशरराम पुत्र आदूराम, हुक्माराम पुत्र बीरूराम, धनराज पुत्र गोपीलाल, नानूराम पुत्र घोंकलराम, रामनिवास पुत्र

कांशीराम, कुलदीप कुमार पुत्र जगदीश कुमार, लखविन्द्र सिंह पुत्र लालसिंह आदि ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये।

(3) अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त रकबें के आवंटन से पूर्व समस्त प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा समस्त प्राप्त आवंटन प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न सबूतों की जॉच के उपरान्त वरियता निर्धारित की गई तथा अदालत मातहत द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से वरियता के आधार पर जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट राजाराम पुत्र ओमप्रकाश की प्रथम वरियता व समस्त सबूत पूर्ण होने के आधार पर आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट् राजाराम को किया गया है।

(4) अदालत मातहत द्वारा वरियता क्रम निर्धारित करते हुए सभी आवेदकों के धारण में स्थित भूमि का अंकन भी अपीलाधीन आदेश में किया गया है। जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट्स के धारण में क्रमशः राजाराम पुत्र ओमप्रकाश के धारण में 3.14 बीघा कमाण्ड भूमि का अंकन किया गया है तथा अपीलांट बाबुलाल पुत्र भीखाराम के धारण में 15 बीघा कमाण्ड भूमि दर्शित करते हुए चूंकि रेस्पोडेन्ट के धारण में कम भूमि होने के आधार पर आराजी जैर का आवंटन किया गया है।

(5) प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट के धारण में पूर्व में ही अधिक भूमि निहित थी। जिस पर अदालत मातहत द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा तत्समय अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये कि रेस्पोडेन्ट के धारण में पूर्व में ही अधिक भूमि निहित है तथा उसके द्वारा तथ्यों को छिपाया जाकर आराजी जैर का आवंटन करवाया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आराजी जैर का आवंटन किया गया है। तत्समय अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतीत हो कि रेस्पोडेन्ट के धारण में पूर्व से ही सिलिंग सीमा से अधिक भूमि निहित है।

(6) प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट द्वारा रिपोर्ट पटवार मण्डल बरसलपुर 'बी' व रिपोर्ट पटवार मण्डल राववाला 'ए' की रिपोर्ट प्रस्तुत की

छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। हमने उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट में पटवार मण्डल बरसलपुर 'ब' में सर्वप्रथम यह अंकित है कि राजाराम पुत्र ओमप्रकाश जाट साकिन राववाला के स्वयं के नाम से कोई भूमि मुताबिक रिकार्ड नहीं है। इसी प्रकार पटवार मण्डल राववाला 'ए' की रिपोर्ट में भी सर्वप्रथम यह अंकित है कि रस्पोडेन्ट राजाराम पुत्र ओमप्रकाश के खुद के नाम से व उसके पिता के नाम से राववाला में कोई रकबा दर्ज रिकार्ड नहीं है। उक्त रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट की माता व दादा के धारण में भूमि निहित है। उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट स्वयं के नाम से न होकर नोशनल शेयर के धारण की भूमि है। जिसे वर्तमान में रेस्पोडेन्ट राजाराम की भूमि नहीं माना जा सकता।

(7) रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आवंटन आदेश की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाते हुए मौके पर काबिज है। यदि रेस्पोडेन्ट के धारण में सिलिंग सीमा से अधिक भूमि है तो अपीलांट को रेस्पोडेन्ट के विरूद्व सिलिंग अधिनियम के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जहॉं तक अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र का प्रश्न है हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 108/49 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थी के धारण में भूमि 4 बीघा कमाण्ड से अधिक (15 बीघा कमाण्ड) होने के कारण वरियता से बाहर मानते हुए अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

(8) चूंकि अपीलांट के धारण में पूर्व में ही अधिक भूमि होने से अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र आवंटन नियमों के विपरीत होने से अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत रूप से खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 19–02–2010 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर